न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 28/2023 (राजसमन्द डिक्री)

श्रीमती भैरी पुत्री स्वर्गीय छोगा जी गाडरी, निवासी गांव जुणदा पत्नी बालुराम जी गाडरी, हाल निवासी गांव खडबामनिया, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती रामी पत्नी स्वर्गीय किशना जी गाडरी, निवासी जुणदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्रीमती कमला पुत्री स्वर्गीय किशना जी गाडरी, निवासी जुणदा हाल निवास सिन्देसर खुर्द, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. मदनलाल पिता दीपचन्द जी पालीवाल, निवासी न्यू माडर्उन काम्पलेक्स, भुवाणा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते उदयपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा दिनांक 17–10–2023 प्रकरण संख्या 35/2021

———::———

उपस्थित (वक्त बहस) :– 1– श्री मन्नाराम डांगी अभिभाषक अपीलान्ट

2– श्री दुर्गासिंह शक्तावत अभिभाषक रे.सं. 3

3– श्री पैरोकार सरकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4

———::———

निर्णय **दिनांक 12–03–2024**

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व गांव जुणदा में वाद पत्र की कलम संख्या 1 ''अ'' वर्णित आराजी नंबर 352, 353, 356 कुल किता 3 रकबा 2.3149 हैक्टर, कलम संख्या 1 ''ब'' वर्णित आराजी नंबर 192 रकबा 86.8454 हैक्टर, कलम संख्या 1 ''स'' वर्णित आराजी नंबर 1928, 1929, 3206/1910 कुल किता 3 रकबा 1.4002 हैक्टर एवं कलम संख्या 1 ''द'' वर्णित आराजी न[illegible]354 रकबा 75.3511 हैक्टर भूमि स्थित है। कलम संख्या [illegible] वर्णित आराजी[illegible] प्रतिवादी संख्या 1 का 1/44

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:35:38 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/44 हिस्सा अर्थात 2/44 हिस्सा राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। इसी प्रकार कलम संख्या 1 ''ब'' वर्णित आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/168 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/168 हिस्सा अर्थात 2/168 हिस्सा राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। कलम संख्या 1 ''स'' वर्णित आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/12 हिस्सा अर्थात 2/12 हिस्सा राजस्व अभिलेखों में दर्ज है एवं इसी प्रकार कलम संख्या 1 ''द'' वर्णित आराजी प्रतिवादी संख्या 3 के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है।

वाद पत्र की कलम संख्या 1 ''अ, ब, द'' में वर्णित आराजियात में वादिया जब नाबालिग थी तब उसके पिता छोगा पिता किशना जी, व छोगा की मां रामी तथा छोगा का भाई पन्नालाल एवं छोगा की बहन नोसर व कमला पांचों का 1/28 हिस्सा था, जिसमें वादिया के पिता का 1/168 हिस्सा था। इसी प्रकार कलम संख्या 1 ''द'' वर्णित आराजीयात में वादिया के पिता का 1/12 हिस्सा था तथा वादिया अपने पिता छोगा की एक मात्र विधिक वारिस होने से विरासत से वादिया के नाम दर्ज हुई तथा बाद में वादिया नाबालिग अवस्था में ही वादिया की मां भूरी बाई अन्यत्र अनोपपुरा भेरूलाल जी के यहां नाता विवाह कर चली गयी, जिससे छोगा के हिस्से की समस्त भूमि वादिया के नाम नाबालिग अवस्था में ही जरिये संरक्षक दादी रामी जो प्रतिवादी संख्या 1 है, के नाम अंकित हुई, किन्तु वादिया की दादी प्रतिवादी संख्या 1 काफी बदमाश व चालाक होने से वादिया की नाबालिग अवस्था का लाभ उठाकर वादिया के हक हिस्से की उक्त समस्त भूमियां प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को विक्रय कर दी, जबकि प्रतिवादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 की सगी पुत्री होकर वादिया की बुआ है। नाबालिग की भूमि संरक्षक को विक्रय करने का कानूनन कोई हक अधिकार नहीं है। अतः वाद पत्र की कलम संख्या 1 ''अ, ब, द'' में वर्णित आराजियात में वादिया को 1/168 हिस्से का तथा ''द'' वर्णित आराजी में वादिया को 1/12 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादिया द्वारा जिन कृषि भूमियों के संबंध में वाद प्रस्तुत किया गया है वे सभी हक अधिकार वादिया की प्राकृतिक संरक्षक प्रतिवादी संख्या 1 के पास होने से उनके द्वारा वर्ष 2004 में प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में रजिस्टर्ड हस्तान्तरण कर कब्जा सिपुर्द किया गया है ... में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04–09–2004 व 29–10–2004 को ... बताया है, जिसका

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:35:38 IST
Reason: SelfAttested

उप-प्रवतन अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय का नहीं होकर सिविल न्यायालय का है। अतः प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादिया का वाद खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 17–10–2023 से प्रतिवादी संख्या 3 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. स्वीकार कर वादिया का वाद इसी स्तर पर खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादिया द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 26–10–2023 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री दुर्गासिंह शक्तावत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को वक्त बहस पुनः दोहराते हुए बताया कि अपीलान्ट के पिता छोगा जी का वाद पत्र की कलम संख्या 1 "अ, ब, द" में वर्णित आराजियात में 1/168 हिस्सा तथा कलम संख्या 1 "द" वर्णित आराजी 1/12 हिस्सा था, किन्तु वादिया की नाबालिग अवस्था में वादिया के पिता छोगा जी की मृत्यु हो जाने से एवं उसकी पत्नी भूरी के नाते चले जाने से विवादित आराजियात अपीलान्ट/वादिया के नाम दर्ज होकर जरिये संरक्षक दादी रामी दर्ज हुई, लेकिन अपीलान्ट की नाबालिग अवस्था का नाजायज लाभ उठाकर रामी रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने विवादित आराजियात का रजिस्टर्ड विक्रय रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 के पक्ष में कर दिया, जबकि संरक्षक का दायित्व था कि वह अपीलान्ट के हितों की रक्षा करती। वादग्रस्त भूमियां कृषि भूमि होकर अपीलान्ट की पुश्तैनी भूमि होना साबित है, जिसका श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को ही प्राप्त है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने वाद के अभिवचनों पर गौर नहीं कर आदेश 7 नियम 11 जा. दी. के आधार पर वादिया का वाद का श्रवणाधिकार सिविल न्यायालय का मानकर खारिज कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा अपीलान्ट/वादिया द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में चाहा गया अनुतोष उसे दिलाया जावे। अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक नजीरें 2022 RBJ Page 477, 2022 RBJ Page 394, 2022 RBJ Page 749, हिन्द माइनोरिटी एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:35:38 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

गारजनशिप एक्ट 1956 की धारा 4, 6, 8, 11 तथा 2023 RBJ Page 604, 2023 RBJ Page 460, 2023 RBJ Page 106, 2023 RBJ Page 21 प्रस्तुत की।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने निवेदन किया कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों को अवैध, शून्य घोषित करने व निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय का नहीं होकर सिविल न्यायालय का है। अधिनस्थ न्यायालय ने इसी आधार पर प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट का आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए वादिया/अपीलान्ट का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें 2018 [0] SUPRIME (Raj.) Page 731, 2001 [0] SUPRIME (SC) Page 956, 2019 [0] SUPRIME (SC) Page 201, 2010 [0] SUPRIME (Mad.) Page 1857 प्रस्तुत की।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट/वादिया के वाद का मुख्य आधार रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादी के पक्ष में किये गये रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों को निरस्त कराने बाबत् है, जिसका श्रवणाधिकार/क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय का नहीं होकर सिविल न्यायालय को है। इस संबंध में जो न्यायिक नजीरें अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं, उसके अनुसार रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को अवैध व शून्य घोषित करने तथा निरस्त करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। अधिनस्थ न्यायालय ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों को अवैध, शून्य एवं प्रभावहीन घोषित करने का अधिकार सिविल न्यायालय का होने के आधार पर अपीलान्ट/वादिया का वाद खारिज किया है, जो अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत उक्त न्यायिक नजीरों अनुसार विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। इस संबंध में जो न्यायिक नजीरें अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी है, उनका हमने अवलोकन किया, किन्तु उनके तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने के कारण लागू नहीं होते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 17–10–2023 यथावत रखी जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 12–03–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:35:38 IST
Reason: SelfAttested

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

Scanned with OKEN Scanner

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत...........भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.........मुकाम..............उदयपुर...........

व इजलास ....प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस. ....

श्रीमती भेरी पुत्री स्व. छोगा जी गाडरी, नि0 गांव जुणदा पत्नी बालुराम गाडरी, हाल निवासी गांव खडबामनिया, तह0 रेलमगरा, जिला राजसमन्द

बनाम

श्रीमती रामी पत्नी स्व. किशना जी गाडरी, निवासी जुणदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द व अन्य

अपील नं.....28 / 2023........व नाराजगी डिगरी अदालत ....उपखण्ड अधिकारी ....रेलमगरा....... मुकाम...............मुवर्खे........17..........माह..............10..............2023.........................

दावा बाबत

यह अपील व तारीख..........12..........माह............03.......सन् 2024 रूबरू...........पक्षकारान व हाजरी..............श्री मन्नाराम डांगी.........मिनजानिब अपीलान्ट व.............श्री दुर्गासिंह शक्तावत

...........रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि....... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 17–10–2023 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग..........X........)..........रूपये .... X.......... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... X ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख...........12............माह...........03.............2024 को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील...........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर ... के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:35:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner